

न्यायिक सुधार

प्रलिस के लयः

भारतीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, ई-कोर्ट परियोजना, राष्ट्रीय न्यायिक नयिकत आयोग, केंद्र परायोजति योजना, लोक अदालतें, फास्टर, अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, ADR तंत्र, अखलि भारतीय न्यायिक सेवाएँ (AIJS) ।

मेन्स के लयः

भारतीय न्यायपालिका में न्यायिक सुधार, भारतीय न्यायपालिका से संबंधित वर्तमान प्रमुख मुद्दे, भारत में न्यायिक सुधार से संबंधित प्रमुख पहल ।

न्यायिक सुधार क्या हैं?

परचियः

- न्यायिक सुधार कसी देश की कानूनी प्रणाली में परिवर्तन हैं, जसिमें न्यायालय प्रणाली, कानून और प्रक्रियाएँ शामिल हैं, ताकन्याय प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके ।
- इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कन्याय प्रणालीकानून के शासन को कायम रखे तथा सभी नागरिकों को नषिपक्ष एवं समय पर न्याय प्रदान करना ।

उदाहरणः

- न्यायपालिका की स्वतंत्रता बढ़ाना ।
- न्याय प्रणाली की नषिपक्षता में सुधार करना ।
- न्याय की गतिबढ़ाना ।

भारत में न्यायिक सुधारों की क्या आवश्यकता है?

लंबति मामलों की संख्याः

- वर्ष में सबसे ज्यादा लंबति मामले भारत में हैं । लंबति मामलों और न्याय के प्रशासन एवं वितरण में देरीभारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ।
- वर्ष 2024 तक न्यायपालिका के सभी प्रकार और स्तरों पर लंबति मामलों की कुल संख्या51 मिलियन (5.1 करोड़) से अधिक हो गई, जसिमें 169,000 से अधिक अदालती मामले शामिल हैं जो ज़िला और उच्च न्यायालयों में 3 दशकों (30 वर्ष) से अधिक समय से लंबति हैं ।
- उल्लेखनीय है कअकेले ज़िला अदालतों में इनमें से लगभग 87% मामले या लगभग 45 मिलियन (4.5 करोड़) लंबति हैं, जो ज़मीनी स्तर पर बड़ी ज़मिमेदारी को दर्शाता है ।
- नीतिआयोग के 2018 के रणनीतिपत्र के अनुसार, उस समय मामले के नपिटान की दर को देखते हुए, मौजूदा लंबति मामलों को नपिटाने में 324 वर्ष से अधिक समय लगने का अनुमान था, जो उस समय 29 मिलियन था ।
- ऐसा अनुमान है कलंबति मामलों के कारण भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर 1.5%-2% का नुकसान होगा ।
- वर्ष न्याय परियोजना द्वारा प्रकाशित वधिनियम सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग इन न्यायिक वलिंबों को प्रतबिबिति करती है, जसिमें देश को नागरिक न्याय में 142 देशों में से 111वें स्थान पर तथा आपराधिक न्याय में 93वें स्थान पर रखा गया है ।
- इसके अलावा भारतीय न्यायालयों में कसी मामले के नपिटारे में औसतन 3-5 वर्ष का समय लगता है और कुछ मामलों में दशकों तक का समय लग जाता है । इस देरी से न केवल वादियों (Litigants) को समय पर न्याय नहीं मलि पाता, बल्कन्यायिक प्रणाली पर से लोगों का भरोसा भी खत्म होता है ।

न्यायिक रकितयिः

- उच्च न्यायालयों और नचिली अदालतों में न्यायाधीशों की कमी एक गंभीर चति का वषिय बनी हुई है, जसिसे लंबति मामलों की संख्या में अतशिय वृद्धिहो रही है ।
- जनवरी 2024 भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जनिमें न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 1,114 हैं, परंतु वर्तमान में केवल 783 पद ही भरे हुए हैं । वर्ष 2023 तक ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों में 5,000 से अधिक रकितयिँ बताई गई हैं ।
- इस कमी से न केवल मौजूदा न्यायाधीशों पर काम का बोझ बढ़ता है, बल्कपूरी न्यायिक प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है । प्रायः न्यायपालिका

और कार्यपालिका के बीच मतभेदों के कारण नयुक्तियों में देरी से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है।

■ आधारिक संरचना और तकनीकी अंतराल:

- एक अध्ययन पर आधारित विधि एवं न्याय मंत्रालय की हालिया रपॉर्ट (2024) में देश भर की ज़िला अदालतों के आधारिक संरचना में महत्वपूर्ण कमियों का खुलासा किया गया है, जो न्याय के कुशल वितरण में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।
- 10 राज्यों के 20 ज़िला न्यायालयों में किये गए एक अध्ययन में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण IT आधारिक संरचना के अंतर को उजागर किया गया है। नषिकर्षों से पता चलता है कि सर्वेक्षण किये गए न्यायिक अधिकारियों में से केवल 45% के पास न्यायालय कक्षों में इलेक्ट्रॉनिक डसिप्ले सुविधाओं तक पहुँच है, जबकि कुछ स्थानों पर इसकी स्थापना का कार्य चल रहा है।
- इसके अतिरिक्त लगभग 32.7% अधिकारियों ने बताया कि ज़िला न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का अभाव है, जिससे विशेष रूप से जेलों में प्रभावी वरचुअल कार्यवाही सीमित हो रही है।
- इसने ज़िला न्यायालयों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की कमी को भी उजागर किया गया है- 39% न्यायालय कक्षों में अग्निसुरक्षा उपकरणों का अभाव है, 29.3% में समरपति अहलमद कक्षों का अभाव है तथा 36.3% में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं है। सहायक कर्मचारियों को सीमित सुविधाएँ प्राप्त हैं, केवल 14.6% पुरुष और 10.7% महिला कर्मचारियों के पास सामान्य कमरे हैं तथा 73.7% के पास संलग्न शौचालय नहीं हैं। इसके अलावा 41% कर्मचारियों के पास कंप्यूटर और प्रिंटर की सुविधा नहीं है। परिवहन संबंधी समस्याएँ बनी हुई हैं, 44.5% न्यायिक अधिकारी आधिकारिक कर्तव्यों के लिये नज्दी वाहनों पर निर्भर हैं, और केवल 50.4% सरकारी आवास में रहते हैं।
- यद्यपि ई-कोर्ट परियोजना ने कुछ प्रगति की है, लेकिन इसका कार्यान्वयन, विशेषकर नचिली अदालतों और ग्रामीण क्षेत्रों में, असंगत है।

■ न्यायिक जवाबदेही का अभाव:

- एक मज़बूत न्यायिक जवाबदेही तंत्र की अनुपस्थिति लंबे समय से चर्चा का विषय रही है, जो संभावित रूप से जनता के विश्वास को प्रभावित करती है। न्यायाधीशों को हटाने के लिये वर्तमान महाभियोग प्रक्रिया का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है और महाभियोग से इतर मुद्दों को संबोधित करने के लिये यह अपर्याप्त है।
- यद्यपि राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्ति आयोग (National Judicial Appointments Commission- NJAC) का उद्देश्य नयुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था, लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही पर बहस शुरू हो गई।
- कथित भ्रष्टाचार के मामलों और सेवानिवृत्ति के बाद की नयुक्तियों को लेकर विवादों ने न्यायिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की मांग को तेज़ कर दिया है।

■ न्याय तक पहुँच में बाधाएँ:

- कानूनी पहुँच में सुधार के प्रयासों के बावजूद, न्याय में बाधाएँ महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, खासकर हाशिए के समुदायों के लिये। पछिल्ले एक दशक में वचाराधीन कैदियों की संख्या में वृद्धि हुई है, वर्ष 2022 तक भारत की जेलों में बंद कैदियों की संख्या में 76% की वृद्धि हुई है, जिनमें से कई वंचित समुदायों से हैं जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
- इसके अतिरिक्त मुकदमेबाजी की उच्च लागत, जटिल प्रक्रियाएँ और भाषा संबंधी बाधाएँ अक्सर लोगों को कानूनी सहायता लेने से रोकती हैं। हालाँकि कानूनी सहायता उपलब्ध है, लेकिन इसका कम उपयोग किया जाता है, 1995 में राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना के बाद से केवल 15 मिलियन लोग ही इससे लाभान्वित हुए हैं, जबकि भारत की 80% से अधिक आबादी सहायता के लिये योग्य है।

■ प्रतनिधित्व और वविधिता:

- न्यायपालिका में वविधिता का अभाव है, विशेषकर लिंग, जाति और क्षेत्रीय प्रतनिधित्व के संदर्भ में।
- अगस्त 2024 तक उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं की संख्या क्रमशः केवल 14% और 9.3% थी। उच्च न्यायालयों में महिलाओं का प्रतनिधित्व असमान है, कुछ राज्यों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है या केवल एक है।
- केंद्रीय कानून मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2018 और 2022 के बीच नयुक्त उच्च न्यायालय के 79% न्यायाधीश सामान्य श्रेणी से थे, जो सीमित न्यायिक वविधिता को दर्शाता है।
 - 537 नयुक्तियों में से केवल 11% OBC श्रेणी से, 2.8% SC से, 1.3% ST से और 2.6% अल्पसंख्यक समुदायों से थीं, जो हाशिए पर पड़े समूहों के कम प्रतनिधित्व को रेखांकित करता है।

■ न्यायिक अतिक्रमण और सक्रियता:

- एक महत्वपूर्ण मामला अनूप बरनवाल मामला (2023) से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने नरिवाचन आयुक्त की नयुक्ति प्रक्रिया पर नरिणय सुनाया था, जिसमें एक चयन समिति का गठन किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतपिक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे।
- आलोचकों का तर्क है कि यह नरिणय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तथा भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में शक्ति संतुलन को परविरतित करता है।

■ नरिणयों का प्रवर्तन:

- न्यायालय के आदेशों और नरिणयों को प्रभावी ढंग से प्रवर्तित करने की चुनौती एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। बड़ी संख्या में न्यायालय के आदेश, विशेषकर सरकारी नकियायों के वरिद्ध दिये गए आदेशों का प्रवर्तन नहीं होता।
 - उदाहरण के लिये यमुना नदी को साफ करने के लिये सरकार को नरिदेश देने वाले अनेक न्यायालयी आदेशों के बावजूद, प्रदूषण का स्तर चर्त्ताजनक रूप से उच्च बना हुआ है। इससे न केवल न्यायालयों का अधिकार कमज़ोर होता है, बल्कि उन वादियों को भी न्याय से वंचित किया जाता है, जिन्होंने अपने मामलों को सफलतापूर्वक अग्ररेषित किया है।

भारत में न्यायिक सुधार हेतु क्या पहल की गई हैं?

■ **न्याय प्रतपादन और वधिक सुधार के लिये राष्ट्रीय मशिन:**

- इसे अगस्त 2011 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य संरचनात्मक परिवर्तनों और प्रदर्शन मानकों के माध्यम से उत्तरदायित्व में सुधार करते हुए **वलिंबता और शेष मामलों को कम करके न्याय तक अभिगम्यता** में वृद्धि करना है।
- मशिन का उद्देश्य नमिनलखित लक्ष्यों को प्राप्त करना है:
 - न्यायिक बुनियादी ढाँचे में सुधार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
 - अधीनस्थ न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि करना।
 - अत्यधिक मुकदमेबाजी को कम करने के लिये वधायी और नीतगित उपाय लागू करना।
 - तेजी से मामले नपिटाने के लिये अदालती प्रक्रियाओं को पुनः तैयार करना।

■ **ई-कोर्ट मशिन मोड परयोजना:**

- यह न्यायालय प्रक्रियाओं को सक्षम बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology- ICT) का लाभ उठाता है।**

■ **मुख्य भाग:**

- **कम्प्यूटरीकृत न्यायालय:** 18,735 ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय।
- 99.4% न्यायालय परसिरो में **वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) कनेक्टिविटी।**
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** 3,240 न्यायालय 1,272 कारागारों से जुड़ी।
- 28 आभासी अदालतों की स्थापना की गई जो लाखों मामलों का नपिटारा करेगी तथा भारी जुर्माना वसूल करेगी।
- **7,210 करोड़ रुपए के नविश के साथ ई-कोर्ट परयोजना** के तीसरे चरण का उद्देश्य न्यायपालिका के लिये एकीकृत, कागज रहित मंच तैयार करना है, जिससे दक्षता में और वृद्धि होगी।

■ **न्यायिक अवसंरचना विकास:**

- न्यायिक अवसंरचना के लिये 1993 से क्रयानवति **केंद्र परायोजति योजना (Centrally Sponsored Scheme- CSS)** न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों हेतु आवासीय क्वार्टर और अन्य आवश्यक सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण रही है।

■ **प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:**

- न्यायालय हॉल और न्यायिक आवासीय इकाइयों के निर्माण में वृद्धि।
- योजना के अंतर्गत 11,167.36 करोड़ रुपए जारी किये गये।
- न्यायालय हॉलों की संख्या वर्ष 2014 में 15,818 से बढ़कर वर्ष 2024 में 23,020 हो गई, तथा इसी अवधि में आवासीय इकाइयों की संख्या 10,211 से बढ़कर 20,836 हो गई।

■ **न्यायिक रक्तियों को भरना:**

- सरकार ने न्यायिक रक्तियों, विशेषकर उच्च न्यायपालिका में को दूर करने के लिये ठोस प्रयास किये हैं।
- **वर्ष 2014 से 2024 के बीच सर्वोच्च न्यायालय** में 62 न्यायाधीश नियुक्त किये गए, जबकि **उच्च न्यायालयों** में 976 नए न्यायाधीश नियुक्त किये गए और 745 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया।
- परणामस्वरूप उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 906 से बढ़कर 1,114 हो गई। **ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय** स्तर पर, न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या वर्ष 2013 में 19,518 से बढ़कर वर्ष 2024 में 25,609 हो गई।
- इन पहलों का उद्देश्य रक्तियों को समय पर भरना सुनिश्चित करके न्यायिक दक्षता को बढ़ाना है, जिससे अंततः न्यायिक प्रणाली मज़बूत होगी।

■ **फास्ट ट्रैक कोर्ट:**

- **14वें वलित आयोग** की सफारिशों के अनुरूप विशेष श्रेणियों के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिये **फास्ट ट्रैक कोर्ट** की स्थापना की गई है, जनिमें जघन्य अपराध, महिलाओं और बच्चों के खलिफ अपराध तथा सांसदों/वधायकों से जुड़े अपराध शामिल हैं।

■ **प्रमुख घटनाक्रमों में शामिल हैं:**

- गंभीर अपराधों, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों के लिये 866 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं।
- **410 वशिष्ट प्रोकसो** अदालतों सहित 755 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों ने 2.53 लाख से अधिक मामलों का नपिटारा किया है।

■ **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र:**

- सरकार ने मध्यस्थता, पंचनरिणय और **लोक अदालतों** जैसे ADR तंत्रों को मज़बूत किया है।
 - वाणज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 वाणज्यिक विवादों में पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता को अनविर्य बनाता है, जिससे समाधान की गतिबद्ध जाती है।
 - **मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015** ने मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिये समयसीमा शुरू की है।
 - **मध्यस्थता अधिनियम, 2023** सविलि और वाणज्यिक विवादों में मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करता है।
 - नयिमति रूप से आयोजित लोक अदालतों ने 2021 और 2023 के बीच 7.5 करोड़ से अधिक मामलों का नपिटारा किया है, जिससे अदालत में लंबित मामलों को कम करने में मदद मिली है।
 - लंबित मामलों को कम करने तथा न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिये कई कानूनों में संशोधन किया गया है।
 - इनमें **प्रक्रामय लिखित (संशोधन) अधिनियम, 2018**, वाणज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 शामिल हैं।
 - वाणज्यिक विवादों के लिये पूर्व-संस्था मध्यस्थता और नपिटान (PIMS) को अनविर्य बनाने हेतु वाणज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया तथा **मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015** का उद्देश्य सख्त समयसीमा निर्धारित करके विवाद समाधान में तेजी लाना है।

■ **टेली-लॉ कार्यक्रम:**

- इसे वर्ष 2017 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और मोबाइल ऐप के माध्यम से वंचति समुदायों तक कानूनी सलाह की पहुँच को सक्षम करने के लिये लॉन्च किया गया था।
- वर्ष 2024 तक 90 लाख से अधिक मामले पंजीकृत किये जाएंगे, जनिमें से लगभग 90 लाख मामलों में सलाह दी जा सकेगी।

- **न्याय बंधु प्रो बोनो फ्रेमवर्क:**
 - न्यायबंधु प्लेटफॉर्म और **उमंग ऐप** का निर्माण वकीलों को मुफ्त कानूनी सेवाओं की आवश्यकता वाले नागरिकों से जोड़ने के लिये किया गया है।
 - न्याय बंधु भारत का पहला **निःशुल्क कानूनी ढाँचा** है, जहाँ वकील वंचित समूहों को **निःशुल्क कानूनी सेवाएँ** प्रदान करते हैं।
- वर्ष 2024 तक 24 राज्य बार काउंसिलों और 22 उच्च न्यायालयों में 11,000 से अधिक अधिवक्ताओं ने निःशुल्क सेवाएँ देने के लिये स्वेच्छा से कार्य करते हैं।
- भावी अधिवक्ताओं के बीच सार्वजनिक सेवा की संस्कृतिको बढ़ावा देने के लिये 89 वधिविद्यालयों में प्रो बोनो क्लब स्थापित किये गए हैं।

न्यायिक सुधार की प्रक्रिया में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **बदलाव का प्रतिरोध:** न्यायिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण बाधा न्यायापालिका और न्यायालय के कर्मचारियों दोनों की ओर से नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रतिरोध है। व्यवस्था के भीतर कई लोग पारंपरिक तरीकों के अभ्यस्त हैं, जो सुधारों को अपनाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है।
- **वित्तीय बाधाएँ:** पर्याप्त धन की कमी न्यायिक सुधारों के कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। इससे डिजिटल बुनियादी ढाँचे को अपनाने, नई अदालती सुविधाओं के निर्माण और न्यायिक प्रणाली के समग्र आधुनिकीकरण पर असर पड़ता है।
- **कार्यपालिका और वधियिका के साथ समन्वय:** न्यायिक सुधारों के लिये अक्सर न्यायापालिका, कार्यपालिका तथा वधियिका के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। सरकार की इन शाखाओं के बीच समन्वय की कमी एवं नरिणय लेने में देरी से सुधार प्रक्रिया में काफी बाधा आ सकती है।
- **जनता के विश्वास में कमी:** न्यायिक सुधारों की प्रभावशीलता के लिये न्यायापालिका में जनता का विश्वास महत्वपूर्ण है। हालाँकि न्यायिक नयुक्तियों और जवाबदेही उपायों में अस्पष्टता जैसे मुद्दों ने भरोसे में कमी उत्पन्न की है, जो न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करती है और सुधार प्रयासों में बाधा डालती है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी के माध्यम से मामला प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना:**
 - डिजिटलीकरण, ऑनलाइन केस फाइलिंग और AI-सहायता प्राप्त केस प्रबंधन के लिये ई-कोर्ट परियोजना का विस्तार करना।
 - अदालती आदेशों के त्वरित संप्रेषण हेतु **FASTER (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तीव्र और सुरक्षित प्रसारण)** जैसी प्रणालियों को लागू करना तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिये न्यायिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली:** मध्यस्थता, पंचनरिणय और लोक अदालतों जैसे ADR प्रणाली को संवर्द्धित और सुदृढ़ करने से औपचारिक न्यायालयों पर भार काफी कम हो सकता है।
 - **मध्यस्थता अधिनियम, 2023**, मध्यस्थता के लिये एक सांविधिक आधार प्रदान करता है, परंतु इसके कार्यान्वयन में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
- **न्यायिक नयुक्तियाँ एवं रक्तियाँ:**
 - नयुक्तिप्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, विविधता के लिये कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करने, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्तकी आयु बढ़ाने तथा रक्तियों को कम करने के लिये स्वीकृत पदों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **विशेष न्यायालयों और न्यायाधिकरणों की स्थापना:**
 - राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) और POCSCO अदालतों जैसे विशेष न्यायालयों का विस्तार IPR तथा पर्यावरण कानून जैसे क्षेत्रों में भी करने की आवश्यकता है, ताकि तीव्र समाधान के लिये डोमेन विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।
- **कानूनी सहायता और न्याय तक पहुँच में सुधार:**
 - **राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधिकरण** को मज़बूत करने, सचल वधिकि क्लिनिकों का विस्तार करने तथा हाशिए पर पड़े समुदायों के लिये टेली-लॉ जैसी पहल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- **न्यायिक पहुँच और सार्वजनिक शिक्षा:**
 - अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने और कानूनी जागरूकता में सुधार करने के लिये लाइव स्ट्रीमिंग, क्षेत्रीय भाषा में नरिणय, सार्वजनिक व्याख्यान और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक सहभागिता को संवर्द्धित किया जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये: (2019)

1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के नरिवाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया।
2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायापालिका की स्वतंत्रता का अतकिरण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न: राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में नमिलखिति कथनों पर वचार कीजयि: (2013)

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को नःशुल्क एवं सक्षम वधिक सेवाएँ उपलब्ध कराना है ।
2. यह देश-भर में वधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लयि राज्य वधिक सेवा प्राधिकरणों को नःदेश जारी करता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न: भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नयुक्तिके संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायकि नयुक्तिआयोग अधनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नःणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजयि । (2017)

प्रश्न: नःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? नःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतपिदन में राष्ट्रीय वधि सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) की भूमिका का आकलन कीजयि । (2023)